

जारी शि. ए.डी. से कराया जाना उचित  
पाते हैं। अतः अपीलान्ट की तलबी  
हेतु कार्यालय से शि. ए.डी. नोटिस जारी  
हो। पत्रावली आधुनिक दिनांक 27/6/24 के  
पेश हो

340  
27/6/24  
शि. ए.डी. नोटिस  
मेजा गया

2  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

वैतसीम अधिकारी दीगर प्रशासनिक  
कार्या में चला है पत्रावली पूर्वानुसार  
दिनांक 3/7/24 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट की तलबी  
हेतु कार्यालय द्वारा शि. ए.डी. नोटिस जारी  
किया गया। जारी हुक्म नोटिस पर इस  
आशय की रिपोर्ट पोस्ट इन्फॉर्म डायरी  
की गई है कि प्राप्त कर्ता मर चुका है  
जिस नोटिस शामिल मिलना किया गया।  
अपीलान्ट की ओर से किली वारिसान  
के उपस्थित होकर कोई डा. पत्र वगैरह  
भी पेश नहीं किया गया है अतः  
पुकरण अदम हाजरी अपीलान्ट (फौल  
होने के कारण) इसी स्टेशन पर खारिज  
किया जाता है पत्रावली फैसला सुमा  
हो बाद कार्रवाई दायरेल इफ्तार हो

2  
जिला कलक्टर  
भरतपुर